जनिवा कन्वेंशन

प्रलिमि्स के लयि:

रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समति, जनिवा कन्वेंशन

मेन्स के लयि:

वर्तमान परदृिश्य में भारत-चीन के संदर्भ में जनिवा कन्वेंशन का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

जून, 2020 में लद्दाख में **गलवान (भारत-चीन)** संघर्ष के बाद, **रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समति** (International Committee for the Red Cross-ICRC) द्वारा भारत एवं चीन दोनों देशों की सरकारों से आग्रह कयि गया है कि वे जनिवा कन्वेंशन (Geneva Conventions) की शर्तों का पालन करे, जनिके **दोनों** देश **हस्ताक्षरकर्ता** हैं।

प्रमुख बदिु:

- **जनिवा कन्वेंशन (1949)** तथा इसके **अन्य प्रोटोकॉल** वे अंतर्राष्ट्रीय संधयिाँ है जसिमें युद्ध की बर्बरता को सीमति करने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण नयिम शामलि हैं।
- ये संधयिाँ/प्रोटोकॉल उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, **जैसे- नागरकि, मेडकि्स, सहायता कार्यकर्ता** तथा जो युद्ध करने की स्थतिि में नहीं होते **जैसे- घायल, बीमार और जहाज़ पर सवार सैनकि तथा युद्धबंदी** ।
  - **पहला** जनिवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान **घायल एवं बीमार सैनकिों** को सुरक्षा प्रदान करता है।
  - **दूसरा** जनिवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान **समुद्र में घायल, बीमार** एवं **जहाज़ पर मौजूद सैन्य कर्मयिों** की सुरक्षा प्रदान करता है।
  - **तीसरा** जनिवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए लोगों पर लागू होता है।
  - **चौथा** जनिवा कन्वेंशन, कब्जे वाले क्षेत्र सहति **नागरकिों को संरक्षण** प्रदान करता है।
- जनिवा कन्वेंशन का **अनुच्छेद-3** सामान्य है जो गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों की स्थतियिों को शामलि करता है।
  - इनमें पारंपरकि गृह युद्ध, आंतरकि सशस्त्र संघर्ष शामलि हैं जनिका प्रभाव अन्य राज्यों/देशों तक होता है या वो आंतरकि संघर्ष में शामलि होते हैं जसिमें एक तीसरा राज्य या एक बहुराष्ट्रीय बल, सरकार के साथ हस्तक्षेप करता है।
- **वर्ष 1977 के दो प्रोटोकॉल:** वर्ष 1949 के चार जनिवा कन्वेंशन के **अतरिक्ति** वर्ष 1977 में **दो जनिवा प्रोटोकॉल** को अपनाया गया।
  - ये दोनों प्रोटोकॉल **अंतर्राष्ट्रीय** और **गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों** के पीड़तिों की सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करते हैं एवं युद्ध करने के तरीकों की सीमा नरि्धारति करते हैं।
- **वर्ष 2005** में, **लाल क्रस्टिल** (Red Crystal) प्रतीक के रूप में एक **तीसरे** अतरिक्ति प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। जसि **रेड क्रॉस** (Red Cross)और **रेड क्रसिेंट प्रतीक/चन्हि** (Red Crescent Emblems) के समान ही अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है।
- रेड क्रॉस के लयि अंतर्राष्ट्रीय समति (International Committee for the Red Cross-ICRC), एक **अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन** है जो इस बात की नगिरानी करता है कि हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा संघर्ष की स्थतियिों में नयिमों का पालन कयि जाता है या नहीं।
  - **वर्ष 1863** में स्थापति, ICRC वशि्व स्तर पर संघर्ष एवं सशस्त्र हसिा से प्रभावति लोगों की मदद करता है साथ ही यह युद्ध के दौरान पीड़तिों की रक्षा करने वाले कानूनों को बढ़ावा देता है।
  - यह एक **स्वतंत्र** और **तटस्थ** संगठन है जसिका मुख्यालय **जनिवा, (स्वट्ज़िरलैंड)** में स्थति है।
  - ICRC मुख्य रूप से **सरकारों** और **राष्ट्रीय रेड क्रॉस** और **रेड क्रसिेंट सोसाइटयिों** से प्राप्त **स्वैच्छकि अनुदान** द्वारा वति्त पोषति है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/geneva-conventions